भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4421
उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025

तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

4421. श्री अ. मनिः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देशभर में, विशेषकर धर्मापुरी जिले सहित तमिलनाडु के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के उद्देश्य से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) को लागू कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तमिलनाडु में विशेषकर लोकसभा धर्मापुरी निर्वाचन क्षेत्र में एनबीएम के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनबीएम के अंतर्गत धर्मापुरी के सभी गाँवों और बस्तियों में सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो इसके पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा धर्मापुरी के पिछड़े और आदिवासी ब्लॉकों में किफायती इंटरनेट, डिजिटल उपकरणों और स्थानीयकृत डिजिटल सामग्री के प्रावधान सहित डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित देश में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) कार्यान्वित करके ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों (पिछड़े एवं जनजातीय ब्लॉकों सहित) में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने और डिजिटल विभाजन (डिवाइड) को पाटने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए हैं:

i. दिनांक 14 मई, 2022 को केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) पोर्टल का शुभारंभ किया जिससे दूरसंचार अवसंरचना जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने और दूरसंचार टावर की संस्थापना के लिए आरओडब्ल्यू अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने में सुविधा होगी।

ii. 'दूरसंचार अधिनियम, 2023' के अंतर्गत दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम 2024 के माध्यम से आरओडब्ल्यू अनुमतियाँ प्राप्त करने और लागू प्रभार संबंधी प्रक्रियाओं को और अधिक एकरूप बनाया गया। ये नियम 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी हैं। ये नियम देश में दूरसंचार अवसंरचना के परिनियोजन को और अधिक सुव्यवस्थित तथा त्वरित बना रहे हैं।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से सुचारू इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है और डिजिटल विभाजन (डिवाइड) को पाट रहा है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भारतनेट परियोजना ग्राम पंचायतों (जीपी) और गाँवों को (मांग के आधार पर) ब्रॉडबैंड प्रदान करती है।

ii. चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार (2312 किमी) और कोच्चि और लक्षद्वीप (1869 किमी) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई जिससे अधिक तीव्र इंटरनेट कनेक्टिविटी संभव हुई।

iii. पूर्वोत्तर, द्वीप समूहों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती गाँवों जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं (4जी सहित) के लिए विभिन्न स्कीमें।

तमिलनाडु में राज्य आधारित मॉडल के तहत, दिनांक 11 अगस्त 2025 तक, तमिलनाडु में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 12,525 ग्राम पंचायतों (जीपी) में से कुल 11,758 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है और लगभग 57,000 रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई गई है। धर्मापुरी निर्वाचन क्षेत्र में, कुल 251 में से 240 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

दिनांक 31 जुलाई 2025 तक, तमिलनाडु में 16,488 गाँवों में से 16,483 गाँवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज उपलब्ध है और धर्मापुरी निर्वाचन क्षेत्र के 487 गाँवों में से 479 गाँवों में 3जी/4जी/5जी कवरेज उपलब्ध है।

****